राज्य द्वारा एडीपीओ अभियुक्त लोकेन्द्र अनु०। प्रकरण अभियुक्त की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील वापस प्राप्त। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए फरार हो गया है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द0प्र0सं0 की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियोजन से पूछे जाने पर उन्होंने अभियुक्त की अनुपस्थिति में कोई साक्ष्य शेष न होने से न कराना व्यक्त किया।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र बदनसिंह तोमर निवासी छीमका हाल ठाकुर पाड़ा कस्बा बाडी जिला धौलपुर राजस्थान को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

थाना प्रभारी को ज्ञापन भेजा जाए कि स्थाई वारंट को रोजनामचा सान्हा पर इन्द्राज कर सान्हा की सत्यापित नकल न्यायालय में अविलंब भेजे। प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)